न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/48

1. भगवान सहाय गुर्जर पुत्र स्वर्गीय श्री गैदा, आयु 73 वर्ष, निवासी ग्राम खारडी, पंचायत समिति दौसा, ग्राम पंचायत नांगल चापा, तहसील भाण्डारेज, जिला दौसा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज, तहसील भाण्डारेज, जिला दौसा।

— रेस्पोडेन्ट

2. रामस्वरूप पुत्र स्वर्गीय श्री गैदा,
3. कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय श्री गैदा,
4. कजोड़ पुत्र स्वर्गीय श्री गैदा,
5. तीजो पुत्री स्वर्गीय श्री गैदा,
6. कल्याणी पत्नी स्वर्गीय श्री सरदार पुत्र स्वर्गीय श्री गैदा,
7. मुकेश पुत्र स्वर्गीय श्री सरदार पौत स्वर्गीय श्री गैदा,
8. राजेश पुत्र स्वर्गीय श्री सरदार पौत स्वर्गीय श्री गैदा,

समस्त निवासीयान ग्राम खारडी, पंचायत समिति दौसा, ग्राम पंचायत नांगल चापा, तहसील भाण्डारेज, जिला दौसा राजस्थान।

— रेस्पोडेन्ट्स/प्रफोर्मा पार्टी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा निर्णय दिनांक 19.12.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट उनवानी रास्ता प्रकरण ग्राम खारंडी पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री सुमेर सैनी, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 व 8 की ओर से अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 से 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक :— 27.04.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 19.12.2024 के खिलाफ प्रार्थना दफा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 10.02.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार भाण्डारेज, जिला दौसा के द्वारा दिनांक 10.12.2024 को राजस्व ग्राम खारंडी, पटवार मण्डल नांगल चापा, भू0अ0नि0 गौठडा, तहसील भाण्डारेज, जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 876/1063, 876/1064, 902, 892, 893, 894, 895, 896, 900 में मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करवाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत् प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ट्रेस, राजस्व अभिलेख, मौका फर्द रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत नांगल चापा के अनापत्ति प्रमाण पत्र व सहखातेदारों के सहमति पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा को भिजवाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम

1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, भाण्डारेज द्वारा अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम खारंडी, पटवार मण्डल नांगल चापा, भू0अ0नि0 गौठडा, तहसील भाण्डारेज, जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 876/1063, 876/1064, 902, 892, 893, 894, 895, 896, 900 में प्रस्तावित रास्ते के रकबे मुताबिक राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार भाण्डारेज को आदेशित किया गया कि उक्तानुसार दर्ज होने वाला रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहने एवं राजस्व नक्शे व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिये जाने तथा रास्ते के रकबे सहित किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2024 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 19.12.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट भगवान सहाय गुर्जर पुत्र स्वर्गीय श्री गैदा द्वारा यह अपील प्रार्थना दफा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 19.12.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त, सुनवाई के अधिकार सिद्वान्त का घोर हनन होने के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों व अभिवचनों के भी अनुकूल नहीं है इसलिए आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 पारित किये जाने से पूर्व अन्य के अतिरिक्त भूमि खसरा नम्बर 902 के अंशधारियों को ना तो सुनवाई का अवसर दिया गया और ना ही सुनवाई हेतु सूचना दी गई, सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित आक्षेपित आदेश विधि व प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 902 के हाल राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि की खातेदारी गैदा पुत्र भूरा के नाम अमल दरामद है, जिनका स्वर्गवास आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 पारित किये जाने से लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 की प्रकृति को देखा जावे तो वह मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गैदा के विधिक वारिसान में से एक पुत्र भगवान सहाय माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही अपील का अपीलार्थी है तथा शेष वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4, 8 व 9 तथा गैदा लाल के मृत पुत्र सरदार के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 5 ता 7 है। उक्त आक्षेपित आदेश पारित किये जाने से पूर्व ना तो अपीलार्थी को, ना ही प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकियात्मक विधि का अनुशरण किये बगैर मामले में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधि व प्रक्रिया का दुरूपयोग है इसलिए आक्षेपित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

धारा 131, 132 भू-राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की सूरत में प्रक्रियात्मक विधि के तहत पत्रावली का गठन कर धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की परिधि में पारित होने वाले आदेश से जो भूमि संशक्त थी उसके खातेदारान्, हितधारियों, सहअंशधारियों को सुनवाई बाबत् नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार भाण्डारेज के आवेदन दिनांक 10.12.2024 के आवेदन से इतफाक रखकर मामले में सुनवाई का अवसर दिये बगैर आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 को मात्र 9 दिवस की अल्प अवधि में पारित कर दिया, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि मामले में न्यायिक मस्तिक

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

लगाये बगैर आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है। आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 में अन्य के अतिरिक्त भूमि खसरा नम्बर 902 में से भी रास्ता निकालने के आदेश पारित किये गये है तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट होगा कि उक्त आदेश से सर्वाधिक प्रभावित व्यक्ति गैदा के वारिसान ही है। खसरा नम्बर 902 का कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर है जिसे आक्षेपित आदेश के माध्यम से दो टुकडों में विभक्त कर दिया गया है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि रास्ते हेतु कभी खसरा विशेष को दो टुकडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह उल्लेखित किया है कि ग्राम खारंडी, तहसील भाण्डारेज के खसरा नम्बर 876/1063, 876/1064, 902, 892, 893, 894, 895, 896, 900 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाना समीचीन है कि आक्षेपित आदेश में यह कही भी उल्लेखित किया गया है और ना ही अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य थी कि तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बरान् में से जिस रास्ते का उल्लेख किया गया है वह रास्ता किस ग्राम से ग्राम को जाता है ? ना ही आवेदन में ऐसे कोई तथ्य उल्लेखित थे कि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य को वैकल्पिक रास्ता मौके पर अस्तित्व ना रखता हो। वास्तविक तथ्य यह है कि तहसीलदार द्वारा दिये गये आवेदन में जिन खसरा नम्बरान् का उल्लेख किया गया था उनमें कोई भी रास्ता मौके पर चालू नहीं था, ना ही रास्ते का कोई अस्तित्व था ना ही प्रचलित रास्ता था एवं ना ही रास्ते की चौडाई व लम्बाई के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य थी, ना ही तरमीम के संदर्भ में कोई साक्ष्य थी इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में न्यायिकचित लगाये बगैर आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 पारित कर दिया गया है, जो उक्त आधार पर ही अपास्त किये जाने योग्य है।

धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करने का कतई क्षेत्राधिकार नहीं है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 पारित कर दिया गया जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में दिया गया विवेचन विरोधाभाषी है एक ओर तो अधीनस्थ न्यायालय यह कथन कर रहे है कि प्रस्तावित रास्ते पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है वही दूसरी ओर यह कथन कर रहे है कि मौके पर प्रचलित रास्ता है। प्रचलित रास्ते का अस्तित्व एवं प्रस्तावित रास्ते का अस्तित्व पृथम पृथक है जिसके संदर्भ में न्यायिकचित लगाये बगैर एवं मौके की जाँच करवाये बगैर तथा भूमि के हितधारियों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित किया गया आक्षेपित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित किया गया है तथा भूमि के हितधारियों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर आक्षेपित आदेश पारित किया है भूमि खसरा नम्बर 902 राजस्व अभिलेख में गैदा के नाम दर्ज है जिसका एक वारिस अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 है ऐसी सूरत में आक्षेपित आदेश से अपीलार्थी के हक अधिकार दुष्प्रभावित हो रहे है इसलिए अपीलार्थी को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदत्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। आदेश दिनांक 19.12.2024 अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित किया गया था जिसकी जानकारी अपीलार्थी को कतई नहीं थी। अपीलार्थी को आक्षेपित आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से होने से एवं दिनांक 13.01.2025 को सम्पत्ति खसरा नम्बर 902 पर आकर अपीलार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने से हुई जिस पर दिनांक 15.01.2025 को प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर आक्षेपित आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त कर अविलम्ब हस्तगत अपील अन्दर मियाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। माननीय न्यायालय अपील की सुनवाई के स्तर पर अपील को मियाद बाहर मानते है तो विलम्ब

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

का क्षमा किये जाने के लिए हस्तगत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अपील को प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब जानबुझकर नहीं अपितु अपीलार्थी को आक्षेपित आदेश की जानकारी नहीं होना रहा है। ऐसी सूरत में अपील प्रस्तुती में हुए विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2024 अपास्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 13.01.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार भाण्डारेज, जिला दौसा के द्वारा दिनांक 10.12.2024 को राजस्व ग्राम खारंडी, पटवार मण्डल नांगल चापा, भू0अ0नि0 गौठडा, तहसील भाण्डारेज, जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 876/1063, 876/1064, 902, 892, 893, 894, 895, 896, 900 में मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत् प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ट्रेस, राजस्व अभिलेख, मौका फर्द रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत नांगल चापा के अनापत्ति प्रमाण पत्र व सहखातेदारों के सहमति पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, भाण्डारेज द्वारा अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम खारंडी, पटवार मण्डल नांगल चापा, भू0अ0नि0 गौठडा, तहसील भाण्डारेज, जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 876/1063, 876/1064, 902, 892, 893, 894, 895, 896, 900 में प्रस्तावित रास्ते के रकबे मुताबिक राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार भाण्डारेज को आदेशित किया गया कि उक्तानुसार दर्ज होने वाला रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहने एवं राजस्व नक्शे व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिये जाने तथा रास्ते के रकबे सहित किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2024 पारित किये गये है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमारा विनम्र मत है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 902 के राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि की खातेदारी अपीलान्ट के पिता गैदा पुत्र भूरा के नाम दर्ज थी। रास्ते बाबत् सहमति पत्र में रामस्वरूप, कन्हैया, कजोड़ पुत्र स्व0 श्री गैन्दा द्वारा सहमति प्रदान की गई है, किन्तु अपीलान्ट भगवान सहाय की सहमति प्राप्त नही की गई है। अपीलान्ट का अपील में कथन है कि अपीलान्ट के पिता गैन्दा पुत्र भूरा की मृत्यु अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2024 से पूर्व ही हो चुकी थी किन्तु गैन्दा के समस्त वारिसों को बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। राजस्व रिकार्ड नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के खसरा नम्बर 902 के बीच में से रास्ता कटान किया गया है। अपीलान्ट के खसरा नम्बर 902 मे से रास्ता कटान की आवश्यकता क्यों हुई ? अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन किये बिना व उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2024 पारित किये गये है। अपीलान्ट को भी उक्त अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नही बनाया गया है ना ही उसे कोई नोटिस दिया गया है। जिसके कारण अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। अपीलान्ट को सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 902 के रिकार्डेड खातेदार गैदा पुत्र भूरा के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान करने एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 902 के रिकार्डेड खातेदार गैदा पुत्र भूरा के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान करने एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर